:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– अनील कुमार

मूकदमा नम्बर 48/21 राजस्व वाद

पार्वतीदेवी पत्नी खेमराज जाति भील उम्र बालीग निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1. श्री लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादी

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल एडवोकेट वादी

2 तहसीलदार तहसील सीमलवाडा

वाद अन्तर्गत धारा 251 A राज.का.अधिनियमं

:: निर्णय :: दिनांक 02/08/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि गॉव सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा के जमाबन्दी खाता सख्या 552 कें खसरा सख्या 664 एवं 666 का रकबा कमशः 0.0324 एवं 0.9227 कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 0.9551 हैक्टेयर भूमि है जिसकी वादीया खातेदार काश्तकार हो दर्ज रिकार्ड है कि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा सख्या 666 कें दक्षीण दिशा में 709 का कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि में से 0.0081 हैक्टेयर किस्म गे.मु.गोत एवं 0.0243 हैक्टेयर मगरी बीलानाम होकर खाता नम्बर 1 में दर्ज है, उक्त बीलानाम मगरी खसरा सख्या 709 कें दक्षीण दिशा में खसरा सख्या 712 का रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म रास्ता एवं 714 का कुल रकबा में से 0.0405 हैक्टेयर भूमि किस्म रास्ता दर्ज है। कि वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि तक पहुच हेतु रास्ता आराजी सख्या 712 एवं 714 से होता हुआ खसरा सख्या 709 से होता हुआ अपनी खातेदारी भूमि खसरा सख्या 666 तक पहुचता है। कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी सख्या 666 तक पहुच हेतु बीच में आराजी सख्या 709 पडता है जिससे प्रार्थी अपने खेत तक आना–जाना, कृषि साधन लाना–ले जाना करता है किन्तु उक्त आराजी की किस्म बीलानाम मगरी होने के कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुच का रास्ता पुरा नहीं हो पाता है ऐसे में गॉव सीमलवाडा कें खसरा सख्या 709 का रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि को रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुच में किसी प्रकार से कोई व्यवधान पैदा नहीं हो सकेगा। वादी की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 666 तक पहुच हेतु रास्ता आराजी सख्या 709 से दिया जाना आवश्यक है अन्यथा वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि अनुपयोगी हो जावेगी। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है तथा आराजी सख्या 709 का रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश फरमावे

उपखण्ड अधिकारी

अन्यथा वादी को अपुरणीय क्षती होगी। वादग्रस्त आराजी गॉव सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा की होने से आप श्रीमान् के क्षैत्राधीकार एवं श्रवणाधीकार में हैं अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वाद डिकी किया जाकर निम्न आश्य का अनुतोष दिया जावे। कः– यह कि वादग्रस्त आराजी मौजा सीमलवाडा के जमाबन्दी खसरा सख्या 709 कुल रकबा 0. 0324 हैक्टेयर भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया, तथा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा को तहरीर जारी कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के सबध में बीन्दू वार रिपोर्ट एवं माननीय राजस्व मंण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।

प्रतिवादी तहसीलदार तहसील सीमवलाडा द्वारा पटवारी एवं गिरदावर की मौका रिपोर्ट मय रिपोर्ट पेश की किः– कि मौजा सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा के खाता सख्या 552 के खसरा सख्या 664 का रकबा 0.0324 हैक्टे, एवं खसरा सख्या 666 का रकबा 0.9227 का कुल रकबा 0.9556 हैक्टेयर भूमि की खातेदार पार्वती पत्नी खेमराज जाति भील है जो दर्ज रिकार्ड है, कि खसरा सख्या 666 की दक्षिण की ओर की सीमा का खसरा नम्बर 709 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, मगरी दर्ज है, उक्त खसरा सख्या 709 के दक्षीण दिशा में खसरा सख्या 712 का रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म रास्ता व खसरा सख्या 714 का कुल रकबा 0.1376हैक्टेयर में 0.0971 हैक्टेयर किस्म मगरी एवं 0.0405 हैक्टेयर किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड है। कि वादी के खसरा सख्या 666 व 664 में पहुच हेतु खसरा सख्या 712, 714, व709 से होकर जाना होता है, कि खसरा सख्या 666 तक पहुच रास्ते हेतु खसरा सख्या 709 का भी उपयोग किया जा रहा है जिसकी किस्म राजस्व रिकार्ड में 0.0243 हैक्टेयर भूमि मगरी एवं 0.0081 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकीन जोत दर्ज है अतः खसरा सख्या 666 तक पहुच मार्ग हेतु खसरा सख्या 709 का कुल रकबा में से 13 फीट चोडा एवं 184 फीट लम्बा रास्ता वादीया को दिया जाना न्यायसंगत है ताकि वादीया अपनी खातेदारी भूमि तक निर्बाध पहुच सके। गॉव सीमलवाडा की डीएलसी दर की प्रति सलग्न है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है गॉव सीमलवाडा कें खसरा सख्या 709 जो कि सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्र वाले जॉन में स्थित है जहॉ कि डीएलसी दर 27,52,190/– प्रति हैक्टेयर है ऐसे में वादी का वाद डिकी किया जाता है।

2.8.24

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रियात्मक आदेश

चुकि वादी को गॉव सीमलवाडा खसरा सख्या 709 का कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि में से 13 फीट × 184 फीट कुल 2392 वर्गफीट अर्थात 0.0222 हैक्टेयर भूमि रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है ऐसे वादी को आदेशित किया जाता है कि क्षैत्रफल 0.0222 हैक्टेयर की डीएलसी दर का दो गुना राशि अर्थात 1,22,350/— रू अक्षरे एक लाख बाईस हजार तीन सो पचास रू चालान द्वारा 0029.00.800.12.00 अन्य मद में जमा करावे। वादी की खातेदारी भूमि गॉव सीमलवाडा के खसरा सख्या 666 का कुल रकबा 0.9227 हैक्टेयर भूमि तक रास्ते हेतु गॉव सीमलवाडा के खसरा सख्या 709 का कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि में से 13 फीट चोडा एवं 184 फीट लम्बा कुल क्षैत्रफल 2392 वर्गफीट अर्थात 0.0222 हैक्टेयर भूमि किस्म रास्ता रिकार्ड में दर्ज कर, नक्षे में रास्ता अंकन करने की आज्ञा दी जाती है तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अवीलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।

उपरोक्तानूसार डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 02/08/2021 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा जिला डूॅगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री अनील कुमार

श्रीमती पार्वती **बनाम** भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा

दावाः– **वाद अन्तर्गत धारा 251 A राज.का.अधिनियमं**

सख्याः– 48 / 21

वादी की ओर से एडवोकेट श्री मनीष कुमार कलाल और प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा, इस वाद में आज दिनांक 01 / 08 / 2021 को अनील कुमार RAS के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है **चुकि वादी को गॉव सीमलवाडा खसरा सख्या 709 का कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि में से 13 फीट × 184 फीट कुल 2392 वर्गफीट अर्थात 0.0222 हैक्टेयर भूमि रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है ऐसे वादी को आदेशित किया जाता है कि क्षैत्रफल 0.0222 हैक्टेयर की डीएलसी दर का दो गुना राशि अर्थात 1,22,350 / – रू अक्षरे एक लाख बाईस हजार तीन सो पचास रू चालान द्वारा रेवेन्यु बोर्ड के हेड 0029.00.800.12.00 अन्य मद में जमा करावे। उक्त राशि जमा करवाए जाने पर, वादी की खातेदारी भूमि गॉव सीमलवाडा के खसरा सख्या 666 का कुल रकबा 0.9227 हैक्टेयर भूमि तक पहुच रास्ते हेतु गॉव सीमलवाडा के खसरा सख्या 709 का कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि में से 13 फीट चोडा एवं 184 फीट लम्बा कुल क्षैत्रफल 2392 वर्गफीट अर्थात 0.0222 हैक्टेयर भूमि किस्म रास्ता रिकार्ड में दर्ज कर, नक्शे में अंकन / तरमीम करने की आज्ञा दी जाती है तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अवीलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे। उपरोक्तानूसार डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।**

यह आज दिनाक 02 / 08 / 2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा